न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, नोहर(हनुमानगढ)

पीठासीन अधिकारी डॉ. हरीतिमा आर0ए0एस

अपील सं0 47

दिनांक : 09.10.2017

1. लक्ष्मणसिह पुत्र ठाकरसिंह जाति जटसिख साकिन बिहलेवाला तहसील व जिला फरीदकोट हाल आबाद बलवीर बस्ती गली नं. 9 एल. फरीदकोट जिला व तह. फरीदकोट (पंजाब)।

– अपीलांट

बनाम्

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर तहसील नोहर।

1/1 बलवीर सिंह पुत्र दमनसिंह जाति जटसिख निवासी रामगढ

–रेस्पोडेंट

अपील विरूद्ध निर्णय दिनांक 18.09.2017 निरस्त करने बाबत।

उपस्थितः– श्री हवासिंह, अधिवक्ता, अपीलांट

श्री नरेन्द्र किशोर जोशी, अधिवक्ता रेस्पो.।

निर्णय **दिनांकः– 25.05.2018**

अपील के तथ्य संक्षेप में निम्न प्रकार से हैः–

1. यह कि अपीलकृत निर्णय विधि विरूद्ध तथ्यों के विपरित एवं प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों के खिलाफ होने की वजह से निरस्त योग्य है। नकल निर्णय दिनांक 18.09.2017 सलंग्न अपील है।
2. यह कि नायबसिंह पुत्र गुरबक्स सिंह जाति जटसिख साकिन बिहलेवाला तहसील व जिला फरीदकोट हाल आबाद बलवीर बस्ती गली नं. 9 एल फरीदकोट तहसील व जिला फरीदकोट(पंजाब) ने अपनी खुद पैदा करदा भूमि चक नं. 16 डीपीएन जमाबन्दी सम्वत

अतिरिक्त जिला कलक्टर
नोहर (हनुमानगढ)

2072 ता 2075 के खाता सं. 90/72 की कुल 1.3410 है0 भूमि की अपने जीवनकाल में ही एक वसीयत दिनांक 27.07.2005 को उप पंजीयक (दर्शनसिंह) फरीदकोट की अदालत में अपने पोते अपीलांट के पक्ष में तस्दीक करवा दी थी नायब सिह पुत्र गुरबक्स सिंह जाति जटसिख साकिन बिहलेवाला जिला फरीदकोट हाल आबाद बलवीर बस्ती गली नं. 9 एल फरीदकोट तहसील व जिला फरीदकोट पंजाब का दिनांक 04.10.2011 को देहांत हो गया इसलिए बाद देहांत नायबसिंह पुत्र गुरबक्ससिंह जाति जटसिख अपीलांट विवादित भूमि का मुताबिक वसीयत खातेदार काश्तकार हुआ इसलिए मुताबिक वसीयत दिनांक 27.07.2005 के आधार पर विवादित भूमि अपने नाम दर्ज करवाने के लिए अपीलांट ने तहसीलदार नोहर की अदालत में प्रार्थना पत्र पेश किया जिसमें सार्वजनिक सूचना जारी की गई एवं पटवारी की रिपोर्ट के आधार पर बलवीरसिंह पुत्र दमनसिंह की विवादित भूमि में ढाणी बनी हुई है एवं विवादित भूमि, विवादित होने की सम्भावना के कारण वसीयत पत्रावली खारिज की जाती है जबकि आवेदनकर्ता को विधिवत् रूप से सुनवाई का अवसर देना चाहिए था ऐसा नही कर मातहत अदालत ने कानूनी भूल की है। इसलिए मातहत अदालत ने विधि के मान्य सिद्धान्तों के खिलाफ निर्णय किया है जो निरस्त योग्य है।

3. यह कि मातहत अदालत ने निर्णय पारित करने से पूर्व कानूनी प्रक्रिया की पालना नही की है कानूनी स्थिति के मुताबिक वसीयत के गवाहों के बयान लिये जाने आवश्यक है एवं आवेदनकर्ता को विधिवत् रूप से सुनवाई का अवसर देना चाहिए था ऐसा नही कर मातहत अदालत ने कानूनी भूल की है इसलिए मातहत अदालत का निर्णय निरस्त योग्य है।

4. यह कि वास्तविक स्थिति यह कि विवादित भूमि में अपीलांट ने अपनी ढाणी बना रखी है एवं बलवीरसिंह पुत्र दमनसिंह को विवादित भूमि हिस्से ठेके पर काश्त के लिए दे रखी है जो मुख्त्यारनामा एवं बैचान होना बलवीरसिह ने बताया हहै वे सब साजिसाना है उससे किसी प्रकार के काश्तकारी अधिकार प्राप्त नही होते इसलिए मातहत अदालत ने केवल मात्र विवाद होने की संभावना हे कि आधार पर निर्णय किया है जबकि कानून और संभावना का कोई संबंध नही है उसके बावजुद भी मातहत अदालत ने प्रार्थना पत्र खारिज किया है इसलिए मातहत अदालत का निर्णय निरस्त योग्य है।

5. यह कि पटवारी हल्का की रिपोर्ट एकपक्षीय है जो केवल बलवीरसिंह के कहे अनुसार ही तैया की गई है जो साजिशाना तैयार की गई है एवं उसी रिपोर्ट के आधार पर मातहत

अतिरिक्त जिला कलक्टर
नोहर (हनुमानगढ़)

अदालत ने अपना निर्णय पारित किया है जो किसी प्रकार से कानून सम्मत नही होने के कारण निरस्त योग्य है।

6. यह कि मातहत अदलत का निर्णय स्वैच्छाचारी मनामाना एवं कानून सम्मत नही है जो निर्णय कि परिभाषा में नही आता है इसलिए निरस्त योग्य है।
7. यह कि मातहत अदालत ने सिर्फ साजिसाना कार्यवाही करते हुए सिर्फ अपीलांट को नुकसान पंहुचाने के लिए जल्दबाजी में बिना किसी प्रकार की जांच किये हल्का पटवारी की एकपक्षीय रिपोर्ट के आधार पर निर्णय पारित किया है जो किसी भी प्रकार से कानून सम्मत नही होने के कारण निरस्त योग्य है।
8. यह कि मातहत अदालत का निर्णय स्पीकिंग आर्डर नही है जो निर्णय की परिभाषा में नही आता है इसलिए मातहत अदालत का निर्णय निरस्त योग्य है।

अपील प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर कर रेस्पोडेन्ट एवं रिकार्ड की तलबी की गई। रिकार्ड प्राप्त हुआ। रेस्पोडेन्ट की ओर से कोई उपस्थित नही। बहस उभय पक्ष सुनी गई।

वकील अपीलांट ने अपनी बहस में अपील मीमों के तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि नायब सिंह के खुद की पैदाकर्ता भूमि चक 18 डीपीएन में 1.3410 है0 भूमि है जिसकी एक वसीयत अपने जीवनकाल में दिनांक 27.07.2005 को कर के पंजीयन कार्यालय तस्दीक करवा दी। वसीयत अनुसार भूमि अपने पोते अपीलांट के पक्ष में तस्दीक करवा दी। बलवीर का देहांत हो गया। बाद देंहात मुताबिक वसीयत अपीलांट खातेदार काश्तकार हुआ। तहसीलदार नोहर ने मुताबिक वसीयत इंतकाल दर्ज करने हेतु प्रार्थना पत्र पेश करने पर केवल सार्वजनिक सूचना जारी की व अन्य कोई कार्यवाही किये बिना केवल मात्र पटवारी हल्का की रिपोर्ट की विवादित भूमि पर बलवीर सिंह की ढाणी बनी हुई है। भूमि विवादित होने की संभावना के कारण प्रार्थना पत्र खारिज कर दिया। जबकि मातहत अदालत को पूर्ण सुनवाई कर जांच कर निर्णय करना चाहिए था। विवादित भूमि हिस्से ठेके पर काश्त के लिए बलवीर सिंह को दी हुई थी जिसमें रहने के लिए उसने अस्थाई ढाणी बना रखी थी। इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय ने बिना किसी तथ्यों के अपील अपीलांट का प्रार्थना पत्र खारिज कर दिया। अतः अपील स्वीकार कर निर्णय दिनांक 18.09.2017 खारिज कर मुताबिक वसीयत दिनांक 27.05.2005 के आधार पर अपीलांट के नाम इंतकाल दर्ज करने के आदेश फरमावें।

वकील रेस्पो. सं. 2 ने निवेदन किया कि वसीयत में दर्ज भूमि रेस्पो. को जरिये मुख्त्यार विक्रय कर दी थी व कब्जा भी संभला दिया था। रेस्पो. का हीमौके पर कब्जा काश्त है एवं वह

अतिरिक्त जिला कलक्टर
नोहर (हनुमानगढ़)

अपने परिवार के साथ उक्त भूमि पर निवास कर रहा है। अपीलांट ने गुपचुप तरीके से प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर वसीयत अनुसार इंतकाल दर्ज करवाना चाहा था, जबकि नायब सिंह नेक बलवीर सिंह के पक्ष में रजिस्टर्ड मुख्त्यारनामा करवाया था व इकरारनामा बैय भी किया था जिसमें वसीयत में दर्ज भूमि रेस्पो. को कीमतन दे दी थी जिसका इकरारनामा भी लिखा गया था तथा विवादित भूमि पर बिजली का कनेक्शन है जो रेस्पो. के नाम से है। सिंचाई विभाग में रकम आदि भी रेस्पो. के नाम से जमा हुई है जिसकी रसीदे पेश है। समस्त दस्तावेजों से यह पुर्णतया साबित है कि विवादित भूमि रेस्पो. सं. 2 की खरीदशुदा भूमि है जिस पर अपीलांट को किसी प्रकार से हक हिस्सा प्राप्त नही होता। वसीयत भी अपीलांट के दादा द्वारा अपने जीवनकाल में की गई थी व मुख्त्यानामा भी अपने जीवनकाल में देकर भूमि विक्रय रेस्पो. को की गई थी। जब भूमि विक्रय हो चुकी है तो वसीयत स्वतः ही शुन्य हो गई। वसीयत के आधार पर किसी का प्रकार इंतकाल दर्ज नही किया जा सकता।

हमने बहस सुनी। पत्रावली व प्रस्तुत दस्तावेजों का अवलोकन किया। यह साबित है कि विवादित भूमि की वसीयत की गई है, परन्तु रेस्पो. सं. 2 द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज आदि से यह भी स्पष्ट है कि विवादित भूमि जरिये मुख्त्यार व इकरारनामा के अनुसार बेचान भी किया जाना प्रतित होता है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय अनुसार भी विवादित भूमि में रेस्पो. की ढाणी बनी हुई है।

अतः अपील अपीलांट स्वीकार योग्य नही होने के कारण खारिज की जाती है। अधीनस्थन न्यायालय द्वारा पारित निर्णय में हम किसी प्रकार के हस्तक्षेप की आवश्यकता नही समझतें है।

अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख मय निर्णय प्रति लौटाया जावे। पत्रावली नम्बर से कम की जाकर बाद तरतीब तकमील जाब्ता दफ्तर दाखिल हो।

निर्णय मेरे द्वारा लिखाया जाकर आज दिनांक 25.05.2018 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

हरीतिमा

(डॉ. हरीतिमा)
अतिरिक्त जिला कलक्टर
नोहर

अतिरिक्त जिला कलक्टर
नोहर (हनुमानगढ़)